Reg. No. G-2/RNP/GOA/32/2015-2017

RNI No. GOAENG/2002/6410

Panaji, 7th February, 2015 (Magha 18, 1936)

SERIES II No. 45

OFFICIAL GAZETTE
GOVERNMENT OF GOA

PUBLISHED BY AUTHORITY

EXTRAORDINARY

No. 2

GOVERNMENT OF GOA

Department of Elections

Office of the Chief Electoral Officer

Notification

No. 5-26-2015/ELEC/5420

The following Notification No. 576/Exit/2015/ /SDR-Vol.I dated 2nd February, 2015 issued by the Election Commission of India, New Delhi is hereby published for general information.

Narayan S. Navti, Joint Chief Electoral Officer.

Panaji, 6th February, 2015.

ELECTION COMMISSION OF INDIA

Nirvachan Sadan,
Ashoka Road,
New Delhi - 110001.

Dated: 2nd February, 2015. / 13 Magha, 1936 (Saka)

Notification

No. 576/Exit/2015/SDR-Vol.I

Whereas, the schedule for the Bye Elections to the Parliamentary Constituency of 14—Bangaon (SC) Parliamentary Constituency of West Bengal and 27—Liromoba (ST) Assembly Constituency of Arunachal Pradesh, 11—Panaji Assembly Constituency of Goa, 139—Srirangam Assembly Constituency of Tamil Nadu, 88—Krishnaganj (SC) Assembly Constituency of West Bengal, 91—Mukhed Assembly Constituency of Maharashtra and 167—Triupati Assembly Constituency of Andhra Pradesh have been notified by the Commission on 19th January, 2015 under Section 30 of the Representation of the People Act, 1951.

2. And whereas, as per the provisions of Section 126A of the Representation of the People Act, 1951, there shall be restrictions on conduct of any exit poll and publication and dissemination of result of such exit poll during such period, as may be notified by the Election Commission in this regard;

3. Now, therefore, in exercise of the powers under sub-section (1) of Section 126A of the Representation of the People Act, 1951, the Election Commission, having regard to the provisions of sub-section (2) of the said Section, hereby notifies the period between 7.00 a.m. and 06.30 p.m. on 13-02-2015 (Friday), as the period during which conducting any exit poll and publishing or publicizing by means of the print or electronic media or dissemination in any other manner, whatsoever, the result of any exit poll in connection with the current Bye Elections to the Parliamentary Constituency of 14—Bangaon (SC) Parliamentary Constituency of West Bengal and 27—Liromoba (ST) Assembly Constituency of Arunachal Pradesh, 11—Panaji Assembly Constituency of Goa, 139—Srirangam Assembly

Constituency of Tamil Nadu, 88—Krishnaganj (SC) Assembly Constituency of West Bengal, 91—Mukhed Assembly Constituency of Maharashtra and 167—Triupati Assembly Constitueny of Andhra Pradesh notified on 19th January, 2015, shall be prohibited.

4. It is further clarified that under Section 126(1)(b) of the R.P. Act, 1951, displaying any election matter including results of any opinion poll or any other poll survey, in any electronic media, would be prohibited during the period of 48 hours ending with the hour fixed for conclusion of poll in connection with aforesaid By-Elections.

By Order,

Anuj Jaipuriar

Secretary

भारत निर्वाचन आयोग

निर्वाचन सदन,
अशोक रोड,
नई दिल्ली–११०००१

दिनांक: २ फरवरी, २०१५
१३ माघ, १९३६ (शक)

अधिसूचना

सं. ५७६/एग्जिट/२०१५/एस.डी.आर.–खण्ड–१

यत: पश्चिम बंगाल् के १४–बनगांव (अ.जा) संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के लोक सभा उप चुनाव तथा अरूणाचल प्रदेश के २७–लिरोमोबा (अ.ज.जा) विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र, गोवा के ११–पणजी विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र, तमिलनाडू के १३९–श्रीरंगम विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र, पश्चिम बंगाल के ८८–कृष्णागंज (अ.जा.) विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र, महाराष्ट्र के ९१–मुखेड विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र तथा आन्ध्र प्रदेश के १६७–तिरुपति विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र के उप–निर्वाचन लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, १९५१ की धारा ३० के अन्तर्गत दिनांक १९–०१–२०१५ को अधिसूचित किये जा चुके है:

२. और यत:, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, १९५१ की धारा १२६क के प्रावधानों के अनुसार इस संबंध में निर्वाचन आयोग द्वारा यथा अधिसूचित, इस अवधि के दौरान किसी भी प्रकार के एग्जिट पोल के संचालन और उसके परिणामों तथा ऐसे एक्जिट पोल के परिणाम के प्रसार पर प्रतिबंध होगा।

३. अब, इसलिए, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, १९५१ की धारा १२६क की उप–धारा (१) के अधीन शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारत निर्वाचन आयोग, उक्त धारा की उप–धारा (२) के उपबंधों के संबंध में एतत्द्वारा, दिनांक १३–०२–२०१५ (शुक्रवार) को पूर्वाहन ०७.०० बजे से अपराहन ०६.३० बजे के बीच की अवधि को, ऐसी अवधि के रूप में अधिसूचित करता है जिसके दौरान १९–०१–२०१५ को अधिसूचित, पश्चिम बंगाल के १४–बनगांव (अ.जा) संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के लोक सभा के उप चुनाव तथा अरुणाचल प्रदेश के २७–लिरोमोबा (अ.ज.जा) विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र, गोवा के ११–पणजी विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र, तमिलनाडू के १३९–श्रीरंगम विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र, पश्चिम बंगाल के ८८–कृष्णागंज (अ.जा.) विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र, महाराष्ट्र के ९१–मुखेड विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र तथा आन्ध्र प्रदेश के १६७–तिरूपति विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र के उप–निर्वाचनों के संबंध में किसी भी प्रकार के एग्जिट पोल का संचालन तथा प्रिंट या इलैक्ट्रोनिक मीडिया द्वारा इसका प्रकाशन या प्रचार अथवा किसी भी अन्य तरीके से उसके प्रसार पर प्रतिबंध रहेगा।

४. इसके अतिरिक्त यह भी स्पष्ट किया जाता है कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, १९५१ की धारा १२६(१) (ख) के अधीन उपर्युक्त उप निर्वाचनों के संबंध में संबंधित मतदान क्षेत्रों में मतदान की समाप्ति के लिए नियत समय के साथ समाप्त होने वाले ४८ घंटो की अवधि के दौरान किसी भी प्रकार के निर्वाचन संबंधी मामले का, किसी भी ओपीनियन पोल या अन्य किसी पोल सर्वे के परिणामों सहित, प्रदर्शन किसी भी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से करने पर प्रतिबंध रहेगा।

आदेश से,

अनुज जयपुरियार

सचिव

Direction

No. 5-5-2015/ELEC/5421

The following Direction No. 576/3/EVM/2015/ /SDR-Vol. I dated 2nd February, 2015 issued by the Election Commission of India, New Delhi is hereby published for general information.

Narayan S. Navti, Joint Chief Electoral Officer.

Panaji, 6th February, 2015.

ELECTION COMMISSION OF INDIA

Nirvachan Sadan,
Ashoka Road,
New Delhi - 110001.

Dated: 2nd February, 2015.

Direction

No. 576/3/EVM/2015/SDR-Vol. I:- Whereas, Section 61A of the Representation of the People Act, 1951, provides that the giving and recording of votes by Voting Machines in such manner as may be prescribed, may be adopted in such Constituencies as the Election Commission of India may, having regard to the circumstances of each case specify; and

2. Whereas, the Commission has considered the circumstances in 14—Bangaon (SC) Parliamentary Constituency of West Bengal and 27—Liromoba (ST) Assembly Constituency of Arunachal Pradesh, 11—Panaji Assembly Constituency of Goa, 139—Srirangam Assembly Constituency of Tamil Nadu, 88—Krishnaganj (SC) Assembly Constituency of West Bengal, 91—Mukhed Assembly Constituency of Maharashtra and 167—Triupati Assembly Constituency of Andhra Pradesh, and is satisfied that sufficient number of Electronic Voting Machines are available for taking the poll in the abovementioned Parliamentary and Assembly Constituencies. The polling personnel are well trained in efficient handling of the Electronic Voting Machines and the electors are also fully conversant with the operation of the Electronic Voting Machines;

3. Now, therefore, the Election Commission of India hereby specifies 14—Bangaon (SC) Parliamentary Constituency of West Bengal and 27—Liromoba (ST) Assembly Constituency of Arunachal Pradesh, 11—Panaji Assembly Constituency of Goa, 139—Srirangam Assembly Constituency of Tamil Nadu, 88—Krishnaganj (SC) Assembly Constituency of West Bengal, 91—Mukhed Assembly Constituency of Maharashtra and 167—Triupati Assembly Constituency of Andhra Pradesh, from where Bye-Elections have been notified on 19-1-2015, as the Constituencies in which the votes at the current Bye Elections, shall be given and recorded by means of Electronic Voting Machines in the manner prescribed under the Conduct of Elections Rules, 1961, and the supplementary instructions issued by the Commission from time to time on the subject.

By Order,

Anuj Jaipuriar

Secretary

———

भारत निर्वाचन आयोग

निर्वाचन सदन,
अशोक रोड,
नई दिल्ली–११०००१
दिनांक: २ फरवरी, २०१५.

निदेश

संख्या. ५७६/३/ई.वी.एम./२०१५/एस.डी.आर.–खण्ड–१:– यत:, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, १९५१ की धारा ६१ क में यह उपबधित है कि मतदान मशीनों द्वारा मत ऐसी रीति से दिए और रिकॉर्ड किए जाएंगें जैसा कि भारत निर्वाचन आयोग ऐसे निर्वाचन क्षेत्रों के लिए प्रत्येक मामले की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए निर्दिष्ट करें; और

२. यत: आयोग ने पश्चिम बंगाल् के १४–बनगांव (अ.जा) संसदीय निर्वाचन क्षेत्र तथा अरुणाचल प्रदेश के २७–लिरोमोबा (अ.ज.जा) विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र, गोवा के ११–पणजी विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र, तमिलनाडू के १३९–श्रीरंगम विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र, पश्चिम बंगाल के ८८–कृष्णागंज (अ.ज.) विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र, महाराष्ट्र के ९१–मुखेड विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र तथा आन्ध्र प्रदेश के १६७–तिरूपति विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों की परिस्थितियों पर विचार किया है, और इस बात से संतुष्ट है कि उपर्युक्त संसदीय एवं विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों में मतदान कराए जाने के लिए पर्याप्त संख्या में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनें उपलब्ध है। मतदान कर्मचारी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों की कार्यपणाली से पूर्णतया परिचित है तथा निर्वाचक भी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों के संचालन के साथ पूरी तरह परिचित है।

३. अत:, अब भारत निर्वाचन आयोग एतद्द्वारा पश्चिम बंगाल् के १४–बनगांव (अ.जा) संसदीय निर्वाचन क्षेत्र तथा अरुणाचल प्रदेश के २७–लिरोमोबा (अ.ज.जा) विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र, गोवा के ११–पणजी

विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र, तमिलनाडू के १३९–श्रीरंगम विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र, पश्चिम बंगाल के ८८–कृष्णागंज (अ.ज.) विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र, महाराष्ट्र के ९१–मुखेड विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र तथा आन्ध्र प्रदेश के १६७–तिरुपति विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों को ऐसे निर्वाचन क्षेत्रों के रुप में विनिर्दिष्ट करता है, जिसमें १९–०१–२०१५ को अधिसूचित किए गए निर्वाचन क्षेत्रों के चालू उप निर्वाचनों में, निर्वाचनों का संचालन नियम, १९६१ के अधीन निर्धारित रीति से इलेक्ट्रॉनिक मतदान मशीनों के माध्यम से मत डाले और रिकॉर्ड किए जांएगें तथा जैसा कि इस विषय पर आयोग द्वारा समय–समय पर अनुपूरक अनुदेश जारी किए जाते है।

आदेश से,

अनुज जयपुरियार

सचिव

www.goaprintingpress.gov.in

Published and Printed by the Director, Printing & Stationery,
Government Printing Press,
Mahatma Gandhi Road, Panaji-Goa 403 001.

PRICE–Rs. 4.00

PRINTED AT THE GOVERNMENT PRINTING PRESS, PANAJI-GOA–355/360–2/2015.